



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062025-263759
CG-DL-E-12062025-263759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2500]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947

No. 2500]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2025

का.आ. 2564(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड को एल.पी.जी. के परिवहन के लिए, जालंधर -गोइंदवाल साहिब एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना के तहत, सुन्नी पिंड (जालंधर) गांव से चंडेर महापुरख (गोइंदवाल साहिब) तक पाइपलाइन को तहसील - फगवाड़ा, जिला -कपूरथला, राज्य -पंजाब में बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री नवदीप सिंह भोगल, सक्षम प्राधिकारी, जालंधर - गोइंदवाल

साहिब एल.पी.जी. पाईपलाइन परियोजना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र पाईपलाइन्स, सुच्ची पिंड, जी.टी. रोड जालंधर-144009 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : फगवाड़ा		जिला : कपूरथला		राज्य : पंजाब			
क्र. स.	हदबस्त नं०	गाँव का नाम	मुसतील न	किल्ला न. / सर्वे न.	क्षेत्रफल		
					हे.	एअर	वर्ग. मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	83	चहेड़		1155/1	00	00	69
				रास्ता	00	00	30
				1165	00	00	33
				1163/2	00	01	85
				1184	00	03	40
				1186	00	05	17

[फा. सं. आर-11025/1/2024-ओआर-1/ई-48970]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2025

S.O. 2564(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay LPG Pipeline from Suchi Pind (Jalandhar) to Chander Mahapurakh (Goindwal Sahib) under Jalandhar – Goindwal Sahib LPG Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in **Tehsil-Phagwara of Kapurthala District in State of Punjab.**

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Sh. Navdeep Singh Bhogal, Competent Authority, Jalandhar-Goindwal Sahib LPG Pipeline Project, Indian Oil Corporation Limited, Northern Region Pipelines, Suchi Pind, GT Road Jalandhar-144009.

SCHEDULE

Tehsil: Phagwara		District: Kapurthala			State: Punjab		
SL. No.	Hadbast No.	Name of Village	Mustil No.	Killa /Survey No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.meter
1	2	3	4	5	6	7	8
1	83	Chaheru		1155/1	00	00	69
				Raasta	00	00	30
				1165	00	00	33
				1163/2	00	01	85
				1184	00	03	40
				1186	00	05	17

[F. No. R-11025/1/2024-OR-I/E-48970]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.